

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

विज्ञापन क्रमांक – 2288

दिनांक :- 06/10/2023

ऐसे पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं हैं और जो सेवानिवृत्त कुलपति या सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं (जिन्होंने अधिष्ठाता/विभाग प्रमुख के रूप में कार्य किया है) और जिनके पास राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पाठ्यापक के रूप में 10 साल का अनुभव है। राष्ट्रीय महत्व/मानित विश्वविद्यालयों या पूर्व जिला न्यायाधीश को अटल बिहारो वाजपयो हिंदो विश्वविद्यालय, भोपाल की स्थापना में लोकपाल के पद के लिए निर्धारित प्रपत्र में पूर्णतः अस्थाई आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना है। नियम और शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियमों, 2023 के अनुसार शासित होंगी।

लोकपाल (1 पद) –

मामलों की सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित प्रति दिन 3000/- रुपये (बैठक शुल्क), और 500/- स्थानीय परिवहन शुल्क।

नियम और शर्तें –

आवेदकों से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियमों, 2023 दिनांक 11 अप्रैल, 2023 की धारा 6 जो इस प्रकार है :-

- लोकपाल, नियुक्ति के समय, नियुक्ति से पहले एक वर्ष के दौरान, या लोकपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उस संस्थान के साथ हितों के टकराव में नहीं होगा जहां उसका व्यक्तिगत संबंध है। व्यावसायिक संबद्धताएँ या वित्तीय हित संस्थान के प्रति निर्णय की स्वतंत्रता से समझौता कर सकते हैं या उचित रूप से समझौता करते प्रतीत हो सकते हैं।
- लोकपाल को हटाने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस संबंध में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद से नीचे के व्यक्ति द्वारा की गई जांच न हो जाए, जिसमें लोकपाल को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
- विश्वविद्यालय सिद्ध कदाचार या गलत व्यवहार के आरोप में लोकपाल को पद से हटा सकता है।
- लोकपाल को पद ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह अगले एक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- लोकपाल को यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मामला लंबित या चल नहीं रहा है।

लोकपाल के कार्य :

- (i) लोकपाल किसी पीड़ित छात्र की अपील तभी सुनेगा जब छात्र इन विनियमों के तहत प्रदान किए गए अन्य सभी उपायों का लाभ उठा ले।
- (ii) जबकि परीक्षा के संचालन में या मूल्यांकन की प्रक्रिया में कदाचार के मुद्दों को लोकपाल के पास भेजा जा सकता है, किसी परीक्षा से उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन या पुनः योग के लिए कोई अपील या आवेदन नहीं किया जा सकता है। लोकपाल द्वारा इस पर तब तक विचार किया जाएगा जब तक कि परिणाम को प्रभावित करने वाली विशिष्ट अनियमितता या भेदभाव के विशिष्ट उदाहरण का संकेत नहीं दिया जाता है।
- (iii) लोकपाल कथित भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई के लिए न्याय मित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकता है।
- (iv) लोकपाल पीड़ित छात्र/छात्रों से अपील प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर शिकायतों को हल करने के लिए सभी प्रयास कर आवेदकों के लिए निर्देश दिए जाए।

आवेदकों के लिए निर्देश

अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने से पहले पद के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए –

- 1) आवेदन 07/10/2023 से 17/10/2023 तक स्वीकार किए जाएंगे। उक्त उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 2) निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.abvhv.edu.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 3) पद केवल मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा।
- 4) निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र (तीन प्रतियां) प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ एक लिफाफे में “लोकपाल के पद के लिए आवेदन” लिखकर ऊपर उल्लिखित तिथियों के बीच कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) 462038 को भेजा जाना चाहिए ताकि 17/10/2023 को शाम 5:00 बजे से पहले पहुंच सके।
- 5) यदि प्रदान किया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अलग शीट पर जानकारी दी जा सकती है और उसे आवेदन के साथ भेजा जा सकता है।
- 6) अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 7) सत्यापन के बाद, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक से प्राप्त जानकारी दोषपूर्ण है और या दोषपूर्ण प्रमाणपत्रों पर आधारित है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवेदन को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
- 8) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करना अयोग्यता होगी।
- 9) डाक विभाग द्वारा खोए गए या विलंबित आवेदनों के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

कुलसचिव

5.

शैक्षणिक योग्यता						शैक्षिक योग्यता
परीक्षा	विश्वविद्यालय/बोर्ड	माह एवं उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	वर्ग/स्थान	
हाई स्कूल						
उच्च माध्यमि						
स्नातक						
स्नातकोत्तर						
आचार्य (डॉक्टरेट)						
अन्य योग्यता						

6.

शिक्षण / व्यावसायिक / प्रशासनिक अनुभव				
संस्थान/संगठन	वर्ष	ग्रहित पद	नियुक्ति का प्रकार	नियुक्ति की अवधि दिनांक के साथ

7. अन्य योग्यताएँ एवं अनुभव, यदि कोई हो।

8. (अ) ग्रहित पद:

(ब) संस्थान/संगठन का नाम जहां कार्यरत हैं:

.....

(स) वेतन :

भुगतान. वेतनमान में.

डी.ए. रु.

एच.आर.ए.रु.

सी.एल.ए. रु.....

अन्य रु.

भत्ते, यदि कोई हो,

कुल रु.

- I. नियुक्ति की तिथि:
- II. वेतन वृद्धि की दिनांक :
- III. अंतिम वेतन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, संलग्न करें

9. तीन से अधिक व्यक्तियों के नाम और पते जिनका संदर्भ दिया जा सकता है –

- 1)
- 2)
- 3)

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं। मैं जानता/जानती हूँ कि किसी भी जानकारी के गलत, अपूर्ण या गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि मेरे आवेदन को वापस लेने के किसी भी अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

स्थान :

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(कृपया "अभ्यर्थी निर्देश" देखें)

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव के समर्थन में उपाधि या पत्रोपाधि या प्रमाणपत्र और अंकों के विवरण तथा अन्य प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां भेजी जानी चाहिए; और उनकी आयु के समर्थन में 10वीं (मैट्रिकुलेशन) या समकक्ष प्रमाणपत्र।
2. आवेदन कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) –462038 को निर्धारित अंतिम तिथि तक या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए।
3. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. पात्रता के संबंध में सलाह मांगने वाली किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा.

अभ्यर्थियों के लिए जाँच सूची (आवेदन के साथ संलग्न की जानी है)

कृपया [v]_जहां भी लागू हो

- 1) विधिवत पूर्ण किया गया आवेदन :हां/नहीं
- 2) आवेदन पर चिपकाया गया स्वप्रमाणित फोटो: हां/नहीं
- 3) हस्ताक्षरित आवेदन : हां/नहीं
- 4) निम्नलिखित प्रत्येक प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की है ---
 - क) जन्मतिथि/आयु प्रमाणपत्र
 - ख) जाति प्रमाणपत्र और जाति वैधता प्रमाणपत्र
 - ग) शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
 - घ) शैक्षिक योग्यता दस्तावेज
 - ङ) अनुभव प्रमाणपत्र
 - च) अंतिम वेतन प्रमाणपत्र
 - छ) कोई अन्य प्रमाणपत्र
